राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओटीएस केम्पस के पास, झालाना लिंक रोड,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (फोन एवं फैक्स नं. 0141–2719136)

क्रमांक प 6 () रा.सू.आ. / विज्ञापन / 2019 3070-74 दिनांकः– 24/12/19

सेवामें,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय,
जयपुर।

विषय :– आयोग की विज्ञप्ति समाचार पत्रों के अगले अंक में प्रकाशित कराने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संलग्न विज्ञापन राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर (जयपुर संस्करण) के अगले अंक में न्यूनतम साईज में छपवाने की व्यवस्था करावें। प्रकाशन के पश्चात विज्ञापन का बिल राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर आयोग को भिजवाएं।

संलग्न :– विज्ञप्ति की दो प्रति

(राधे प्रताप सिंह)
सचिव
राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रोग्रामर, राजस्थान राज्य सूचना आयोग को विज्ञापन आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
2. केशियर
3. गार्ड पत्रावली
4. नोटिस बोर्ड

सचिव

राजस्थान राज्य सूचना आयोग
ओ.टी.एस. परिसर के पास, जे.एल.एन. मार्ग, झालाना लिंक रोड. जयपुर,
(फोन एवं फैक्स– 0141–2719136)

क्रमांक प.6(17)/रा.सू.आ./संस्थापन/2019/ 3070-74 दिनांक 24-12-2019

विज्ञप्ति

राजस्थान सूचना आयोग में संविदा के आधार पर निम्नांकित रिक्त पदों का कार्य करने के इच्छुक राज्य सरकार के कार्यालयों से सेवानिवृत कार्मिकों, जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हो, के आवेदन पत्र दिनांक 25 जनवरी 2020 तक आमन्त्रित किये जाते है। कोर्ट के कार्य का अनुभव रखने वाले अभ्यार्थियों को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

क्र.स.	पद का नाम	वांछित योग्यता
1	निजी सचिव/निजी सहायक	हिन्दी शार्टहेन्ड एवं कम्प्यूटर पर टंकण कार्य में दक्षता।
2	लेखाकार	राज्य सरकार के कार्यालयों से सेवानिवृत लेखाकार, जिन्हे राजकीय कार्यालयों में होने वाले समस्त लेखा कार्यों एवं बजट तैयार करने आदि कार्य का अनुभव हो।
3	वरिष्ठ लिपिक	लिपिकीय वर्ग के लिये सेवानिवृत कर्मचारी की कम्प्यूटर पर हिन्दी में टाईपिंग में पूर्ण दक्षता होना आवश्यक है।
4	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से संबंधित समस्त कार्य

चयनित सेवानिवृत कर्मचारियों को कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या एफ. 17(10)/डीओपी/ऐ–II/94 दिनांक 08.02.2018 के अनुसार समेकित पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता देय नही होगा तथा अन्य शर्त्तें उक्त परिपत्र के अनुरूप रहेगी। आवेदन पत्र का प्रारूप आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र **सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर** के नाम से संबोधित होगा।

(राधे प्रताप सिंह)
सचिव
राजस्थान राज्य सूचना आयोग,
जयपुर